

समक्ष अशोक भान और एन. के. अग्रवाल न्यायमूर्ति

आय कर आयुक्त, हरियाणा- याचिकाकर्ता

बनाम

जसवंत राय - उत्तरदाता

1991 का आई. टी. सी. सं. 61

31 अक्टूबर, 1996

आयकर अधिनियम, 1961-धारा 256 (2) और 271 (1) (सी)-संदर्भ- जुर्माने की वसूली- निर्धारण वर्ष 1984-85 में कुछ परिवर्धन के लिए सहमत होने वाला निर्धारिती, हालांकि केवल उस वर्ष से संबंधित आय के हिस्से के लिए -निर्धारिती एक निर्धारण वर्ष में परिवर्धन के लिए सहमति देकर स्वयं को उच्चतर कर के अधीन करता है-यह कोर्स निर्धारिती द्वारा मन की शांति प्राप्त करने और मुकदमेबाजी से बचने के लिए अपनाया गया है और इस आश्वासन पर कि दंड के उद्ग्रहण के लिए कोई और कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी-लिखित में कोई आश्वासन नहीं- भौतिक नहीं है -अनुमान उत्पन्न होता है-दंड के आदेश को अपास्त करने वाला अपीलीय न्यायालय-अधिकरण भी अपील में आदेश को बनाए रखता है और विधि के प्रश्न पर निर्देश को अस्वीकार करता है-अधिकरण द्वारा अभिलिखित तथ्य के निष्कर्ष और ऐसे प्रश्न को संदर्भित करने से इनकार जो विधि का कोई प्रश्न नहीं उठाता है-अधिनियम की धारा 256 (2) के अधीन आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।

अभिनिर्धारित किया कि प्रत्येक मामले में निर्धारिती ने निर्धारण वर्ष 1984-85 में कुछ परिवर्धन के लिए सहमति व्यक्त की थी, हालांकि इस वर्ष से संबंधित आय का केवल एक हिस्सा था। निर्धारण वर्ष में किए जाने वाले जोड़ के लिए सहमत होकर, निर्धारिती ने खुद को उच्च कर के अधीन कर लिया। यह एक स्वाभाविक धारणा को जन्म देता है कि मूल्यांकन कार्यवाहियों के दौरान निर्धारण अधिकारी को समझौते से अवगत कराया गया था ताकि मन की शांति मिल सके और मुकदमेबाजी से बचा जा सके या एक समझ और आश्वासन कि जुर्माना लगाने के लिए आगे कोई कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी। न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए तथ्य का यह निष्कर्ष कानून के किसी भी प्रश्न को जन्म नहीं देता है।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर. पी. साहनी, अधिवक्ता महावीर अहलावत

उत्तरदाता की ओर से अधिवक्ता जी. एस. संधवालिया

## फैसला

एन. के. अग्रवाल, न्यायमूर्ति.  
2

I.L.R. Punjab and Haryana

1997(2)

(1) ये आयकर अधिनियम, 1961 (संक्षेप में, अधिनियम) की धारा 256 (2) के तहत दायर किए गए तीन आवेदन (1991 के आई. टी. सी. संख्या 61,65 और 66) हैं, जिसमें आयकर अपीलीय अधिकरण (संक्षेप में, अधिकरण) को इस उच्च न्यायालय की राय के लिए प्रत्येक आवेदन में विधि के समान प्रश्न को निर्दिष्ट करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। उपर्युक्त तीन आवेदनों में से प्रत्येक में संदर्भित किया जाने वाला प्रश्न सामान्य है, हालांकि तीन याचिकाएं तीन अलग-अलग करदाताओं से संबंधित हैं, लेकिन एक ही मूल्यांकन वर्ष के लिए हैं। यह प्रश्न अधिनियम की धारा 271 (1) (सी) के तहत दंड की लेवीयता से संबंधित है। प्रत्येक मामले में दंड की राशि अलग-अलग होती है। निर्धारण वर्ष 1984-85 के लिए श्री जसवंत राय के मामले में कानून के निम्नलिखित प्रश्न को 1991 के आई. टी. सी. संख्या 61 में संदर्भित करने की मांग की गई है:-

"क्या तथ्यों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर विद्वत न्यायाधिकरण 26,334 रुपये के दंड को रद्द करने में सीआईटी (ए) के आदेश को बरकरार रखने में कानूनी रूप से सही है?

(2) 1991 के आई. टी. सी. सं. 65 (मेसर्स रौनक राम ओम प्रकाश के मामले में) में जुर्माने की राशि रु. 1,28,296 और 1991 के आई. टी. सी. सं. 66 में (मेसर्स मीरी राम प्रेम चंद के मामले में) रु. 59, 448।

(3) निर्धारिती जसवंत राय साझेदार-कंपनी मेसर्स मीरी राम प्रेम चंद में एक तिहाई हिस्सेदारी के साथ और सहयोगी-कंपनी मेसर्स रौनक राम ओम प्रकाश में 15 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ भागीदार थे। इस प्रकार, उन्होंने मुख्य रूप से उन दोनों फर्मों में एक भागीदार के रूप में अपने हिस्से से आय प्राप्त की। आकलन वर्ष 1984-85 के लिए आय विवरणी दाखिल की गई थी, जिसमें कुल आय 12,560 रुपये आंकी गई थी। निर्धारिती का लेखा वर्ष 31 मार्च, 1984 को समाप्त हुआ। 28 जुलाई, 1984 को निर्धारिती जसवंत राय के आवासीय परिसर में तलाशी और जब्ती अभियान चलाया गया। कुछ दस्तावेज जब्त किए गए। निर्धारिती ने उन दस्तावेजों को समझाते हुए जवाब दाखिल किए। हालांकि, उन्होंने कुछ परिवर्धनों के लिए सहमति व्यक्त की:-

- (i) इस वर्ष और पहले के वर्षों की किराये की आय के कारण, जैसा कि निर्धारिती के आवासीय परिसर से जब्त की गई नोट-बुक में दर्ज है  
( 8,774 रुपये -1,462 रुपये 1/6 वें पर मरम्मत के लिए) रु 7,312
- ii) निर्धारिती के पुत्र के विवाह पर किए गए व्यय के कारण: रु 10,000
- (iii) इस वर्ष और पहले के वर्षों में निर्धारिती के नाम पर और परिवार के सदस्यों के नाम पर खरीदे गए एफडीआर में किए गए निवेश के कारण

(रु. 24, 550-7,312 किराये की आय का उपयोग) रु 17,238  
 (i) इस वर्ष और उससे पहले के वर्षों में पत्नी और बच्चों के नाम पर बैंकों में जमा राशि के कारण: रु 7,000  
 कुल: रु 41,550)

(4) 1,06,230 रुपये की कुल आय पर मूल्यांकन किया गया था। अघोषित और बेहिसाब आय के लिए 41,550 रुपये के अलावा, मेसर्स मीरी राम प्रेम चंद से एक तिहाई शेयर आय (35,297 रुपये) और मेसर्स रौनक राम ओम प्रकाश से 15 प्रतिशत शेयर आय (29,890 रुपये) का आकलन किया गया।

(5) साझेदारी मेसर्स रौनक राम ओम प्रकाश के मामले में, निर्धारण वर्ष 1984-85 के लिए रिटर्न दाखिल किया गया था, जिसमें फर्म की कुल आय 49,240 रुपये थी। फर्म का लेखा वर्ष 31 मार्च, 1984 को समाप्त हुआ। 28 जुलाई, 1984 को इस फर्म के व्यावसायिक परिसरों में तलाशी और जब्ती अभियान भी चलाया गया था और कुछ कागजात जब्त किए गए थे। उन कागजातों को समझाते हुए निर्धारिती द्वारा जवाब दाखिल किए गए थे। तथापि, निर्धारण प्रक्रिया के दौरान निर्धारिती फर्म निम्नलिखित परिवर्धनों के लिए सहमत थी: -

(क) 2,00,000 रुपये के मशीनरी के पुर्जों की बिना हिसाब वाली बिक्री पर 12.50 प्रतिशत की दर से लाभ के कारण जैसा कि भागीदार जसवंत राय के आवास से जब्त किए गए दस्तावेज़ में दर्ज किया गया है: रु. 25,000

(ख) बेहिसाब बिक्री में किए गए निवेश के कारण:	15,000
(ग) जब्त किए गए दस्तावेज़ के आधार पर चरम राशि के अनुसार कई किसानों को नकद अग्रिम के कारण (उपरोक्त लाभ के कारण 1,33,076-25,000 रुपये)	1,08,076
(घ) जब्त किए गए दस्तावेज़ में दर्ज विभिन्न व्यक्तियों को किए गए नकद भुगतान के कारण:	48,922
कुल:	<u>1,96,998</u>

(6) मेसर्स मीरी राम प्रेम चंद के मामले में, निर्धारण वर्ष 1984-85 के लिए दाखिल की गई आयकर रिटर्न 18,490 रुपए की कुल आय दर्शाती है। यह फर्म एक पंजीकृत साझेदारी फर्म भी थी और खुदरा आधार पर कपड़े की खरीद और बिक्री से आय प्राप्त करती थी। लेखा वर्ष 31 मार्च, 1984 को समाप्त हुआ। अधिनियम की धारा 133-ए के तहत सर्वेक्षण अभियान 28 जुलाई, 1984 को चलाया गया था और कुछ कागजात जब्त किए गए थे।

दुकान में उपलब्ध स्टॉक का भौतिक सत्यापन भी किया गया था। मूल्यांकन कार्यवाही के दौरान, निर्धारिती फर्म निम्नलिखित परिवर्धन के लिए सहमत हुई: -

	रुपये
सर्वेक्षण के समय पाए गए अतिरिक्त स्टॉक के कारण:	90,000
एक नोट-बुक में दर्ज 2,41,613 रुपये की अघोषित बिक्री पर 12.5 प्रतिशत की दर से लाभ के कारण:	30,202
बिक्री में किया गया निवेश:	15000
कुल राशि	1,35,202
अतिरिक्त स्टॉक में शामिल 30,202 रुपये के लाभ की राशि के लिए कम क्रेडिट दिया गया:	(-) 30,202
कुल राशि	1,05,000

(7) जैसा कि ऊपर कहा गया है, आकलन को अंतिम रूप देने के बाद, इन तीन कर निर्धारकों पर दंडात्मक न्यायिक कार्यवाही इस आधार पर शुरू की गई थी कि उन्होंने आय के विवरण को छुपाया था और उस खाते में परिवर्धन के लिए सहमत हुए थे। निर्धारिती ने दंड की कार्यवाही में जवाब दाखिल किया, यह समझाते हुए कि वे मन की शांति अर्जित करने और मुकदमेबाजी से बचने के लिए कुछ परिवर्धन के लिए सहमत हुए थे और एक वचन पर कि कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। उत्तर में यह भी कहा गया था कि पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित कुछ आय लेकिन निर्धारिती ने औपचारिकताओं और मुकदमेबाजी से बचने के लिए निर्धारण वर्ष 1984-85 में मूल्यांकन किए जाने पर सहमति व्यक्त की थी। तथापि, निर्धारण अधिकारी सहमत नहीं हुए और तीनों निर्धारिती के मामलों में जुर्माना लगाया।

(8) तीनों निर्धारिती आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष जुर्माने के उद्ग्रहण के विरुद्ध अपील में गए और वही याचिका प्रस्तुत की जो उन्होंने निर्धारण अधिकारी के समक्ष अपने उत्तरों में दी थी। उनकी याचिकाओं को स्वीकार कर लिया गया। निर्धारण अधिकारी ने जुर्माना रद्द किए जाने के खिलाफ न्यायाधिकरण के समक्ष अपील की, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। न्यायाधिकरण के समक्ष कानून के प्रश्न के संदर्भ के लिए आवेदन दायर किए गए थे लेकिन उन्हें भी खारिज कर दिया गया था।

(9) आयुक्त के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर. पी. साहनी ने तर्क दिया है कि आय को छिपाना स्पष्ट था और चूंकि जुर्माना रद्द कर दिया गया है, इसलिए कानून का सवाल ही पैदा होता है।

(10) निर्धारिती के विद्वत वकील ने इस आधार पर विभाग की याचिका का विरोध किया है कि निर्धारिती एक आश्वासन और वचन पर परिवर्धन के लिए सहमत हुए थे कि कोई दंड कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी। हालांकि लिखित रूप में कोई

समझौता नहीं हुआ था, लेकिन इस वर्ष केवल उस आश्वासन और वचन पर कुछ अतिरिक्त करने पर सहमति बनी थी। निर्धारण आदेश में आय में किए गए परिवर्धन के संबंध में किए गए कथन के अनुसार, यह स्पष्ट है कि परिवर्धन के माध्यम से संपूर्ण आय निर्धारण वर्ष 1984-85 से संबंधित नहीं थी, बल्कि इस वर्ष से संबंधित आय का केवल एक हिस्सा थी। इस तथ्य ने स्वयं एक स्पष्ट मामला प्रस्तुत किया कि निर्धारिती ने इस आशय के आश्वासन और समझ पर परिवर्धन के लिए सहमति व्यक्त की थी कि कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। यह तर्क दिया गया है कि आयुक्त के साथ-साथ न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया निष्कर्ष तथ्य का निष्कर्ष है और इस संदर्भ में, विवाद से कानून का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं हुआ है।

(11) विभाग के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर. पी. साहनी ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि, जहां एक निर्धारिती ने स्वयं, मूल्यांकन के दौरान, एक संशोधित विवरणी दाखिल की और अपनी आय के रूप में एक विवादित राशि का स्वामित्व किया, तो विभाग की जिम्मेदारी समाप्त हो गई और उस स्थिति में, जुर्माना लगाया जा सकता है। महावीर मेटल वर्क्स बनाम आयकर आयुक्त, पंजाब के मामले में अभिनिर्धारित किया गया था कि निर्धारिती के पास अपनी आय के रूप में एक विवादित राशि थी और चूंकि वह जुर्माने की कार्यवाही में यह दिखाने में विफल रहा कि मूल्यांकन की कार्यवाही के दौरान उसके द्वारा किया गया प्रवेश गलत या अवैध रूप से किया गया था या गलत था, इसलिए आयकर विभाग को अधिनियम की धारा 271 (1) (सी) के तहत उस पर जुर्माना लगाने में न्यायोचित ठहराया गया था।

(12) यह प्रश्न कि क्या जुर्माने को रद्द करने से कानून का प्रश्न पैदा होगा या नहीं, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयकर के अतिरिक्त आयुक्त, गुजरात बनाम चंद्रविलास होटल मामले में जांचा गया है। मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद, उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि न्यायाधिकरण का यह निष्कर्ष कि निर्धारिती किसी भी धोखाधड़ी या आय की वापसी में सकल या जानबूझकर की गई उपेक्षा के लिए दोषी नहीं था क्योंकि यह आकलन की गई आय का 80 प्रतिशत से कम का आंकड़ा था, रिकॉर्ड पर पूरी सामग्री पर विचार किए बिना लाया गया था, कानून के सवाल को जन्म देता है। उस मामले में, संदर्भ के लिए कुछ प्रश्न मांगे गए थे और उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि मामले के बयान की मांग करना वांछनीय था। जिन तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर जुर्माना लगाया गया था, उन पर चर्चा नहीं की गई है और इसलिए उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि जुर्माना लगाने के प्रत्येक मामले में विधि का प्रश्न स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होगा।

(13) जहां निर्धारिती और आयकर अधिकारियों के बीच कोई समझौता होता है, वहां यह उचित नहीं होगा कि किसी समझौते पर आधारित आदेश से शिकायतें बढ़ें और अपील में उसे उकसाया जा सके। इस उच्च न्यायालय को बंता सिंह कर्तार सिंह बनाम आयकर आयुक्त, पटियाला के मामले में एक ऐसे मामले की जांच करने

का अवसर मिला था जिसमें निर्धारिती ने 32,188 रुपये के जुर्माने के लिए सहमति व्यक्त की थी, लेकिन बाद में उसने इसे इस आधार पर चुनौती दी कि लगाया गया जुर्माना कानून के अनुसार न्यूनतम देय नहीं था। चूंकि एक समझौता था, इसलिए यह माना गया कि इसे अपील में चुनौती नहीं दी जा सकती है। निर्धारिती के विद्वत प्रतीक ने, उपरोक्त निर्णय के अनुपात के आधार पर, एक प्रस्ताव रखा है कि वर्तमान निर्धारिती के मामले में भी एक समझौता था और ऐसी स्थिति में, उस समझौते से परे और बाहर कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए। समझौते की प्रकृति और उसके आसपास की परिस्थितियों ने संकेत दिया कि कोई दंड कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी।

(14) अधिकरण द्वारा दिए गए निष्कर्ष से यह स्पष्ट है कि निर्धारिती ने प्रत्येक मामले में निर्धारण वर्ष 1984-85 में कतिपय परिवर्धनों के लिए सहमति व्यक्त की थी, यद्यपि वह इस वर्ष से संबंधित आय का केवल एक भाग था। एक निर्धारण वर्ष में किए जाने वाले जोड़ के लिए सहमत होकर, निर्धारिती ने खुद को उच्च कर के अधीन कर लिया। यह एक स्वाभाविक धारणा को जन्म देता है कि मूल्यांकन कार्यवाही के दौरान निर्धारण अधिकारी को समझौते से अवगत कराया गया था ताकि मन की शांति मिल सके और मुकदमेबाजी से बचा जा सके और इस समझ और आश्वासन पर कि जुर्माना लगाने के लिए आगे कोई कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी। न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए तथ्य का यह निष्कर्ष कानून के किसी भी प्रश्न को जन्म नहीं देता है।

(15) नतीजतन, सभी आवेदन अस्वीकार कर दिए जाते हैं।

**अस्वीकरण :** स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

**अजीतपाल सिंह**  
**प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी**  
**हिसार, हरियाणा**

आर.एन.आर